



Neutral Citation No. – 2026:AHC-LKO:19720

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक अपील संख्या - 477, वर्ष 2026

पीयूष कुमार

.....अपीलार्थी

बनाम

प्रधान सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य, एवं अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलार्थी के अधिवक्ता :- धर्मेन्द्र कुमार त्रिवेदी

प्रतिवादी के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, इन्द्र प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत यह आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश (अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम), रायबरेली द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3678/2025 में दिनांक 06.02.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त मामला अपराध संख्या 389/2025, धारा 103(2), 3(5) भा.न्य.स. (बी.एन.एस.) एवं धारा 3(2)(v) अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

थाना उन्चहार, जिला रायबरेली से सम्बन्धित है, जिसमें अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया था।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसका नाम अंकित नहीं है। विवेचना के क्रम में अपीलार्थी का नाम पहली बार दिनांक 24.10.2025 को दर्ज मृतक की पत्नी के तृतीय कथन में सामने आया, जो सुनी-सुनाई बात पर और विवेचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई एक कथित वीडियो क्लिप के दृश्यांकन पर आधारित था। उक्त कथन में भी अपीलार्थी की भूमिका केवल खड़े रहने और उकसावे की बताई गई है; मारपीट का कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उसके कब्जे से कोई अपराधसिद्धिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 29.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी निवेदन किया गया है कि कई सह-अभियुक्त व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, यथा – विपिन उर्फ अनुज मौर्या को आपराधिक अपील संख्या 4134/2025 में (आदेश दिनांक 26.02.2026); शिव प्रसाद अग्रहरी को आपराधिक अपील संख्या 101/2026 में (आदेश दिनांक 26.02.2026); सुरेश कुमार मौर्या को आपराधिक अपील संख्या 115/2026 में (आदेश दिनांक 26.02.2026); विजय कुमार मौर्या को आपराधिक अपील संख्या 262/2026 में (आदेश दिनांक 12.03.2026); तथा आशीष पासी एवं जितेन्द्र कुमार उर्फ लल्ली पासी को (आदेश दिनांक 13.03.2026)। समता के सिद्धान्त (पैरिटी) के आधार पर अपीलार्थी जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी है।

इसके प्रतिकूल, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है; तथापि वे इस तथ्यात्मक कथन का खण्डन नहीं कर सके कि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था और विवेचना के अत्यन्त विलम्बित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चरण में उसका नाम उभरा। वे इस बात का भी खण्डन नहीं कर सके कि कई सह-अभियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें समान या अधिक गम्भीर भूमिका आरोपित की गई थी, इस न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था और मृतक की पत्नी के तृतीय कथन (दिनांक 24.10.2025) में उसकी संलिप्तता एक कथित वीडियो क्लिप पर आधारित है, जिसकी विश्वसनीयता विचारण का विषय है। यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 29.10.2025 से कारागार में है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलार्थी को शारीरिक आक्रमण की भूमिका विशिष्ट रूप से नहीं दी गई है तथा अनेक सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है (दिनांक 26.02.2026, 12.03.2026 एवं 13.03.2026 के आदेशों द्वारा), अपीलार्थी समता के सिद्धान्त के आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी है। प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, इस न्यायालय का मत है कि अधीनस्थ न्यायालय भौतिक तथ्यों एवं अभियोजन के साक्ष्य की परिवर्तनशील प्रकृति की यथोचित सराहना करने में विफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश विकृत एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। परिणामस्वरूप, विशेष न्यायाधीश (अनु.जाति/अनु.जनजाति अधिनियम), रायबरेली द्वारा दिनांक 06.02.2026 को पारित विवादित आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपीलार्थी – पीयूष कुमार को उपरोक्त मामला अपराध संख्या में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं उतनी ही धनराशि की दो प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर, निम्नांकित अतिरिक्त शर्तों के अधीन, जमानत पर मुक्त किया जाये:

- (i) अपीलार्थी विचारण के दौरान अभियोजन के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) अपीलार्थी विचारण के दौरान साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) अपीलार्थी अभियोजन के साक्षी/साक्षियों पर कोई दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें भयभीत करेगा।
- (iv) अपीलार्थी कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) अपीलार्थी प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा।
- (vi) अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रत्येक नियत तिथि पर उपस्थित रहेगा।
- (vii) अपीलार्थी साक्षियों की उपस्थिति में कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (viii) अपेक्षित होने पर अपीलार्थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत कथन अभिलिखित कराने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहेगा।

उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय को अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।